डिकी मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम –हिण्डौन जिला करौली

इजलास़ अनूपसिंह, R.A.S.

उनवान

1. प्रेम कंवर बेबा पदमसिंह	सभी जाति राजपूत
2. सीमा कंवर बेबा दिनेशसिंह	
3. विकमसिंह पुत्र स्व0 दिनेशसिंह	
4. राहुलसिंह पुत्र स्व0 दिनेशसिंह	निवासी मटिया महल
5. लक्ष्मीदेवी बेबा महेशसिंह	
6. मोहितसिंह पुत्र स्व0 महेशसिंह	
7. विष्णुसिंह पुत्र स्व0 पदमसिंह	
8. निरानंदसिंह पुत्र स्व0 सूरजसिंह	बसवारा पाडा हिण्डौन
9. गोपालसिंह पुत्र स्व0 सूरजसिंह	
10. सावित्री देवी पत्नि स्व0 हरिसिंह(मृतक)	
11. अजयसिंह पुत्र स्व0 हरिंसिंह	
12. लक्ष्मीदेवी बेबा स्व0 विजयसिंह	
13. गौरवसिंह पुत्र स्व0 विजयसिंह	
14. सौरभसिंह पुत्र स्व0 विजयसिंह	जिला करौली ——–वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, जिला करौली
2. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील हिण्डौन जिला करौली
3. नगर परिषद हिण्डौन तामील जरिये आयुक्त नगर परिषद हिण्डौन जिला करौली ———————————————— प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

(2)

दावा बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती,
घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं0 82/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजिरी श्री नरेन्द्रसिंह जादौन एडवोकेट मिन कानिव मुदई रूबरू श्री विजेन्द्रसिंह निरंकारी एडवोकेट मिन जानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है डिकी दी जाती है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 7167 रकबा 0.23 है0 में से रकबा 0.14 है0 उत्तरी पूर्वी तरफ खसरा नम्बर 7156 के सहारे की भूमि कस्बा हिण्डौन का वादी संख्या 01 को हिस्सा 1/24, वादी सं0 2,3,4 को हिस्सा 1/24, वादी सं0 5,6 को हिस्सा 1/24, वादी सं0 7 को हि0 1/24, वादी सं0 8 को हिस्सा 1/6, वादी सं0 9 को हिस्सा 1/6, वादी सं0 11 को हिस्सा 1/4, वादी सं0 12,13,14 को हिस्सा 1/4 भाग के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं तथा तहसीलदार हिण्डौन को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड, राजस्व सीट में तरमीम कर अमल दरामद करें तथा वादीगण की खातेदारी में दर्ज खसरा नम्बर 7154 में से रकबा 0.08 है0 एवं खसरा नम्बर 7155 में से रकबा 0.06 है0 कस्बा हिण्डौन की भूमि का मुताविक राजस्व सीट खसरा नम्बर 7156 सडक के उपयोग में आ रही भूमि पाये जाने से उक्त रकबा 0.14 है0 वादीगण की खातेदारी में से कम कर, पी0डब्लू0 डी0 विभाग की खातेदारी में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तथा खसरा नम्बर 7154 में से रकबा 0.08 है0 एवं खसरा नम्बर 7155 में से रकबा 0.06 है0 कस्बा हिण्डौन की भूमि का मुताविक राजस्व सीट खसरा नम्बर 7156 सडक के उपयोग में आ रही भूमि को खसरा नम्बर 7156 की राजस्व सीट में ही इन नम्बरों का रकबा 0.14 है0 उत्तर पूर्वी तरफ प्रदर्शित करते हुए तरमीम कर अमल दरामद किया जावे तथा शेष इन्द्राजात मुताविक राजस्व रिकार्ड बदस्तूर रहेंगे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 7167 रकबा 0.23 है0 में से रकबा 0.14 है0 उत्तरी पूर्वी तरफ खसरा नम्बर 7156 के सहारे की भूमि कस्बा हिण्डौन में वादीगण के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत प्रतिवादीगण ना तो स्वंय करें ना ही किसी अन्य से करावें। प्रतिवादीगण ऐसा कोई कार्य नहीं करें कि जिससे वादीगण के हक, हकूकों पर कोई विपरीत प्रभाव पडे। तहसीलदार हिण्डौन को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व सीट में अमल दरामद करें। निर्णय व डिकी की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को पालनार्थ भेजी जावे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22-9-22 को यह डिकी जारी की गई।

(अनूपसिंह)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

(1)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 82/2017 तारीख रजू:– 06.07.2017

पीठासीन अधिकारी :– अनूपसिंह

R.A.S.

1. प्रेम कंवर बेबा पदमसिंह
2. सीमा कंवर बेबा दिनेशसिंह
3. विक्रमसिंह पुत्र स्व0 दिनेशसिंह
4. राहुलसिंह पुत्र स्व0 दिनेशसिंह
5. लक्ष्मीदेवी बेबा महेशसिंह
6. मोहितसिंह पुत्र स्व0 महेशसिंह
7. विष्णुसिंह पुत्र स्व0 पदमसिंह
8. निरानंदसिंह पुत्र स्व0 सूरजसिंह
9. गोपालसिंह पुत्र स्व0 सूरजसिंह
10. सावित्री देवी पत्नि स्व0 हरिसिंह(मृतक)
11. अजयसिंह पुत्र स्व0 हरिसिंह
12. लक्ष्मीदेवी बेबा स्व0 विजयसिंह
13. गौरवसिंह पुत्र स्व0 विजयसिंह
14. सौरभसिंह पुत्र स्व0 विजयसिंह

सभी जाति राजपूत

निवासी मटिया महल

बसवारा पाडा हिण्डौन

जिला करौली – वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, जिला करौली
2. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील हिण्डौन जिला करौली
3. नगर परिषद हिण्डौन तामील जरिये आयुक्त नगर परिषद हिण्डौन जिला करौली ———————————— प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

दावा बाबत इन्द्राज दुरूस्ती, घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :— 1. श्री नरेन्द्रसिंह जादौन एडवोकेट वादीगण
2. श्री विजेन्द्रसिंह निरंकारी एडवोकेट प्रतिवादी सं03

निर्णय

दिनांक :— 22-9-22

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीगण ने दावा बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती, घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश कर वाद पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि वादीया सं01 के ससुर एवं वादीया सं02 के ददिया ससुर तथा वादी सं0 3 व 4 के परबाबा सूरजसिंह, वादी सं0 5 के ददिया ससुर एवं वादी सं0 6 के परबाबा, वादी सं0 7 के बाबा सूरजसिंह एवं वादी सं0 8 व 9 के पिता सूरजसिंह पुत्र रघुनाथसिंह तथा वादी सं010 के पति हरिसिंह एवं वादी सं0 11 के पिता हरसिंह तथा वादी सं012 के ससुर एवं वादी सं0 13 व 14 के बाबा हरिसिंह पुत्र रघुनाथसिंह की खातेदारी एवं कब्ज़े काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 4503 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा, 4504 रकबा 3 बीघा4 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा स्थित कस्बा हिण्डौन जिला करौली में स्थित रही है।

वाद पत्र के मद नं0 2 में दर्ज किया है कि सूरजसिंह व हरिसिंह पिसरान रघुनाथसिंह जाति राजपूत निवासी मटिया महल, बसवारा पाडा हिण्डौन अर्सा करीब क्रमशः 35 साल एवं 2 साल पूर्व स्वर्गवास हो गया है, उनके परिवार का एवं विधिक प्रतिनिधियों का सजरा अंकित किया है। जिसमें सूरजसिंह (फौत वर्ष 1982—83) के तीन लडके पदमसिंह (फौत), निरानन्दसिंह वादी सं0 8, गोपालसिंह वादी सं0 9 हैं, पदमसिंह (फौत) के वारिस उसकी बेबा प्रेमकंवर वादी सं01 तथा 3 पुत्र दिनेश (फौत), महेश (फौत), विष्णु वादी सं07 है, दिनेश (फौत) के वारिस उसकी बेबा सीमा वादी सं02 एवं 2 पुत्र विकम वादी सं0 4, राहुल वादी सं04 हैं तथा महेश (फौत) के वारिस उसकी बेबा लक्ष्मीदेवी वादी सं0 5 एवं एक पुत्र मोहित वादी सं06 है। हरिसिंह पुत्र रघुनाथसिंह फौत वर्ष 2015 के वारिस उसकी बेबा सावित्री वादी सं010 एवं दो पुत्र अजयसिंह वादी सं011, विजयसिंह (फौत वर्ष 2017) है तथा विजयसिंह (फौत) के वारिस उसकी बेबा

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

लक्ष्मीदेवी वादी सं0 12 तथा दो पुत्र गौरवसिंह वादी सं013 व सौरभसिंह वादी सं014 हैं।

वाद पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि वादीगण के बुजुर्ग सूरजसहि व हरिसिंह की खातेदारी व कब्जे काश्त की उक्त आराजी मुतजिका मद नं01 वाद पत्र दक्षिण– पश्चिम में राजकीय सिवायचक भूमि आराजी खसरा नम्बर 4502 रकबा 7 बिस्वा गै0मु0 झेरा की आराजी रही है।

वाद पत्र के मद नं0 4 में दर्ज किया है कि वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी के उत्तर में आराजी खसरा नम्बर 4505 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा भूमि दीगर लोगों की खातेदारी भूमि रही है, जिसका मुकदमा हाजा में कोई विवाद किसी प्रकार का नहीं है।

वाद पत्र के मद नं0 5 में दर्ज किया है कि कस्बा हिण्डौन में सेटिलमेंन्ट ऑपरेशन के दौरान वादीगण के बुजुर्गान की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी भूमि खसरा नम्बर 4503 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 4504 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा के नवीन खसरा नम्बर 7154 रकबा 0.84 है0, 7155 रकबा 0.81 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 1.65 है0 कायम किया है और इसी प्रकार राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 4502 रकबा 7 बिस्वा गै0मु0 झेडा का नवीन खसरा नम्बर 7176 रकबा 0.23 है0 विधि विरूद्ध रूप से कायम कर उक्त खसरे को मिलान क्षेत्रफल में विधि विरूद्ध रूप से 4502 के बजाय 4505 लिखकर दर्शित किया है एवं वादीगण की भूमि के उत्तर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 4505 साबिक के नवीन खसरा नम्बर के तौर पर वर्तमान आराजी खसरा नम्बर 7115, 7116, 7117, 7118 बनना जाहिर कर मिलान क्षेत्रफल एवं राजस्व रिकार्ड में दर्शित किया है, जिससे यह प्रमाणित है कि खसरा नम्बर 4505 व 4502 के बीच वादीगण की भूमि मुताविक नक्शा सीट साबिक हमेशा से रही है. लेकिन सेटिलमेन्ट कर्मियों द्वारा तैयार किये गये मिलान क्षेत्रफल में साबिक खसरा नम्बर 4502 के स्थान पर 4505 एवं 4502 के रकबा 7 बिस्वा के स्थान पर 0.23 है0 रकबा जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस में विधि विरूद्ध रूप से दर्शित किया है। सेटिलमेन्ट ऑपरेशन के दौरान सेटिलमेन्ट ऑफिसर्स को किसी भी

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

खातेदार के रकबे में कमी या बढोतरी करने, नक्शा ट्रेस में कमी या बढोतरी करने का कोई विधिक हक किसी प्रकार से प्राप्त नहीं है।

वाद पत्र के मद नं0 6 में दर्ज किया है कि सैटिलमेन्टकर्मीयों द्वारा वादीगण के बुजुर्गान की खातेदारी की भूमि मुतजिक्रा मद नम्बर 1 वादपत्र की खातेदारी तो उन्हें साबिक रिकार्ड के मुताबिक उनके खाते में सही दर्ज की है लेकिन नवीन नक्शा ट्रेस में करीब 15 एयर रकबा भूमि को तरफ दक्षिण–पश्चिम में स्थित राजकीय भूमि व दीगर खातेदारों की भूमि में शामिल कर दिया है, सैटिलमेन्ट पश्चात तैयार किये गये नक्शा ट्रेस में तरफ दक्षिण–पश्चिम की भूमि करीब 14 एयर को वादीगण की खातेदारी भूमि के नक्शा ट्रेस में से विधि विरूद्ध रूप से कम करके राजकीय भूमि साबिक खसरा नम्बर 4502 गैरमुमकिन झेरा रकबा 7 बिस्वा जिसका नवीन खसरा नम्बर 7167 रकबा 0.23 हैक्टेयर कायम किया है, की खातेदारी कॉलम में राजकीय भूमि के तौर पर दर्शाकर, नवीन तौर पर तैयार करवाये गये नक्शा ट्रेस में विधि विरूद्ध रूप से खसरा नम्बर 7167 की भूमि में शामिल कर दिया है जबकि राजकीय भूमि खसरा नम्बर 4502 का नवीन खसरा नम्बर 7167 व उसका नक्शा केवल 9 एयर रकबे का सैटिलमेन्टकर्मीयों को दर्ज करना चाहिये था, एवं मिलान क्षेत्रफल में भी हाल खसरा नम्बर 7167 का साबिक नम्बर 4505 के बजाय 4502 दर्ज करना चाहिये था, वादीगण की साबिक खातेदारी भूमि के नक्शा ट्रेस में से करीब 1 एयर भूमि के रकबे को दक्षिण–पश्चिम भूमि के पडौसी खातेदारों की भूमि खसरा नम्बर 7098 के नक्शा ट्रेस में गलत तौर से शामिल कर दिया है, सैटलमेन्ट कर्मीयों द्वारा इस प्रकार विधि विरूद्ध रूप से वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि के साबिक नक्शे में करीब 15 एयर भूमि विधि विरूद्ध रूप से कम कर दी है और वादीगण की खातेदारी में 1.65 हैक्टेयर आराजी दर्ज करके नवीन नक्शा ट्रेस में 15 एयर रकबे को कम करके राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 7167 एवं तरफ दक्षिण–पश्चिम खातेदार के हाल खसरा नम्बर 7098 के नक्शा ट्रेस में गलत तौर से शामिल कर दिया है और वादीगण को मात्र 1.65 हैक्टेयर के बजाय 1.50 हैक्टेयर का ही नक्शा ट्रेस कायम किया है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

(5)

वाद पत्र के मद नं0 7 में दर्ज किया है कि वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी भूमि में से राज्य सरकार द्वारा 14 एयर भूमि को विधिवत अवाप्त कर सार्वजनिक निर्माण विभाग को गैरमुमकिन सडक के लिए सुपुर्द कर दी है, इस कारण वर्तमान में वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी उक्त सडक के दोनों ओर यानि उत्तर व दक्षिण में 1.51 हैक्टेयर मौके पर मौजूद है, लेकिन सडक के दक्षिण में स्थित वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी भूमि के 14 एयर रकबे की खातेदारी सैटिलमेन्टकर्मीयों द्वारा विधि विरूद्ध रूप से राजकीय भूमि खसरा नम्बर 7167 में शामिल कर रखी है एवं वादीगण की भूमि के पूर्व में स्थित दीगर लोगों की भूमि खसरा नम्बर 7098 के नक्शा ट्रेस में भी 1 ऐयर भूमि को गलत तौर से शामिल कर रखा है, राजकीय भूमि खसरा नम्बर 7167 वर्तमान में प्रतिवादी संख्या–3 की खातेदारी में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद पत्र के मद नं0 8 में दर्ज किया है कि वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि रकबा 14 एयर जो कि वर्तमान में प्रतिवादी संख्या–3 की खातेदारी खसरा नम्बर 7167 में विधि विरूद्ध रूप से शामिल की हुई है, उक्त भूमि में वादीगण के बुजुर्गान की मौके पर सैकडों साल पुरानी छतरी, तिवारा, चबूतरा, पेड पौधे, खण्डे, पाटोरपोश आदि बने हुए हैं यानि आज भी उक्त आराजी पर वादीगण का कब्जा बदस्तूर बजमाने बुजुर्गान से चला आ रहा है। वादीगण की आराजी के पूर्व में वादीगण की बजमाने बुजुर्गान से डोल मेड हो रही हैं जो काफी ऊंची हैं, लेकिन सेटिलमेन्ट कर्मीयों द्वारा नवीन नक्शा ट्रेस में वादीगण की खातेदारी भूमि में बनी हुई पुरानी डोल तरफ पूर्व की करीब 1 एयर भूमि को भी पडौसी खातेदार की भूमि के नवीन खसरा नम्बर 7098 में विधि विरूद्ध रूप से बढा दिया है एवं वादीगण की भूमि के नक्शा ट्रेस में विधि विरूद्ध रूप से कम कर दिया है। वादीगण की भूमि एवं राजकीय सिवायचक झेरा की भूमि एवं पडौसी खातेदार की भूमि के साबिक नक्शा ट्रेस एवं वर्तमान नक्शा ट्रेस को ऊपर नीचे रखने से एवं परिशीलन करने से सेटिलमेन्ट कर्मीयों की उक्त गलती स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है, सेटिलमेन्ट कर्मीयों द्वारा वादीगण की खातेदारी के बनाये नवीन नक्शा ट्रेस को नापने पर सडक निर्माण में गयी 14

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

एयर भूमि को कम करने पर मात्र 1.36 एयर जमीन ही वादीगण के नवीन नक्शा ट्रेस में विधि विरूद्ध रूप से दर्ज की है और 15 एयर जमीन को विधि विरूद्ध रूप से वर्तमान नक्शा ट्रेस में कम कर दिया है। सेटिलमेन्ट कर्मीयों को विधिक रूप से नक्शा ट्रेस में भूमि को कम या ज्यादा करने का कोई विधिक हक प्राप्त नहीं है।

वाद पत्र के मद नं0 9 में दर्ज किया है कि सेटिलमेन्ट कर्मीयों द्वारा की गई गलती का वादीगण को पहले कोई इल्म नहीं था, दिनांक 24.06.2017 को प्रतिवादी संख्या 3 के कर्मचारी जे.सी.बी. मशीनों व मजदूरों को साथ लेकर वादीगण की खातेदारी व कब्जे की भूमि जो कि सडक के दक्षिण में नवीन खसरा नम्बर 7167 में विधि विरूद्ध रूप से सेटिलमेन्ट कर्मीयों ने राजकीय झेरा की भूमि में शामिल कर दी है जिसमें वादीगण की सैकडों साल पुरानी छतरी, तिवारा, चबूतरा, पेड पौधे, खण्डे, पाटोरपोश आदि बने हुए हैं पर नाजायज कब्जा करने आ धमके, एवं वादीगण की आराजी के पूर्वी तरफ वाले पडौसी भी वहां पर नवीन नक्शा ट्रेस को लेकर आ धमके और कहने लगे कि नवीन नक्शा ट्रेस के अनुसार छतरीयों वाली 14 एयर भूमि प्रतिवादी संख्या 3 की खातेदारी में है एवं पूर्वी तरफ वाली डोल पुरानी की भूमि पूर्वी तरफ वाले खातेदार के नक्शा ट्रेस में उसकी दर्ज कर रखी है, उक्त भूमियों पर हम प्रशासन के सहयोग से शीघ्र ही तुम्हें बेदखल कर कब्जा करेंगे, वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को काफी समझाने के पश्चात भी प्रतिवादी संख्या 3 और उसके हमराही मानने को तैयार नहीं हुये, और वादीगण को नवीन नक्शा ट्रेस का बेजा फायदा उठाकर उनकी खातेदारी व कब्जे की भूमि से बेदखल करने की धमकी दी, इस पर वादीगण द्वारा साबिक नक्शा ट्रेस, जमाबंदी, मिलान क्षेत्रफल एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की सक्षम प्राधिकारी से नकल प्राप्त की तो वादीगण को पता चला कि सेटिलमेन्ट कर्मीयों द्वारा विधि विरूद्ध रूप से वादीगण की खातेदारी की भूमि के नवीन नक्शा ट्रेस में से 14 एयर भूमि को प्रतिवादी संख्या 3 की खातेदारी व नक्शा ट्रेस में शामिल कर मिलान क्षेत्रफल में साबिक खसरा नम्बर 4502 के बजाय 4505 दर्ज करके एवं 1 एयर भूमि को पडौसी खातेदार के नक्शा ट्रेस में भूमि खसरा नम्बर 7098

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

में विधि विरूद्ध रूप से शामिल कर दर्ज कर दिया है और वादीगण को खातेदारी रकबे के नक्शे में 15 एयर जमीन कम कायम कर दर्ज कर दी है।

वाद पत्र के मद नं0 10 में दर्ज किया है कि वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण से राजस्व नक्शा सीट में सेटिलमेन्ट कर्मीयों द्वारा की गई उक्त विधि विरूद्ध बेजा कार्यवाही एवं गलती को दुरूस्त करने एवं विधि विरूद्ध रूप से खातेदारी रकबे वादीगण के कब्जे की भूमि जिसमें 14 एयर भूमि खसरा नम्बर 7167 की रोड साइड एवं तरफ पूर्व पुख्ता डोल के उपयोग उपभोग में व्यवधान पैदा नहीं करने हेतु दिनांक 24.06.2017 को निवेदन किया है लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा नवीन नक्शा ट्रेस व राजस्व रिकार्ड में उक्त इन्द्राजात की दुरूस्ती नहीं की, इस पर वादीगण ने जरिये पंजीकृत विधिक नोटिस दिनांक 27.06.2017 को प्रतिवादीगण को इस बावत निवेदन किया है, फिर भी प्रतिवादीगण द्वारा राजस्व रिकार्ड के इन्द्राजात में कोई दुरूस्ती नहीं की है एवं नाराज होकर नवीन विधि विरूद्ध राजस्व रिकार्ड, नक्शा ट्रेस व जमाबंदी के आधार पर प्रतिवादीगण वादीगण की कब्जे, खातेदारी व उपयोग उपभोग की भूमि से वादीगण को शीघ्र ही नाजायज तौर पर बेदखल कर कब्जा करने की फिराक में है, इस कारण वादीगण को दावा विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश करना आवश्यक हुआ है।

वाद पत्र के मद नं0 11 में दर्ज किया है कि वाद कारण वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण सेटिलमेन्ट कर्मीयों द्वारा विधि विरूद्ध रूप से नवीन नक्शा ट्रेस में वादीगण की 15 एयर भूमि को कम करके, प्रतिवादी संख्या 3 की खातेदारी एवं नक्शा ट्रेस में 14 एयर भूमि को बढाकर तथा मिलान क्षेत्रफल में उक्त भूमि को गलत तौर से खसरा नम्बर 4502 के बजाय 4505 से बनना दर्शाकर एवं पडौसी खातेदार तरफ पूर्व के नवीन नक्शा ट्रेस में 1 एयर रकबे को बढाकर मौके के विरूद्ध नक्शा ट्रेस तैयार किया है, जिसका बेजा फायदा उठाकर प्रतिवादी संख्या 3 एवं तरफ पूर्व के खातेदार पडौसी वादीगण को उनकी खातेदारी व कब्जे की छतरी वाली भूमि एवं पुरानी डोल से नाजायज तौर पर बेदखल कर कब्जा करना चाहते हैं, इस बावत प्रतिवादी संख्या 3 एवं पडौसी खातेदार द्वारा दिनांक 24.06.2017 को वादीगण को मौके पर जाकर धमकी देने एवं वादीगण द्वारा उक्त इन्द्राजात की दुरूस्ती एवं उपयोग उपभोग में व्यवधान

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

नहीं पहुंचाये जाने बावत किये गये निवेदन पर प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 24.06.2017 को कोई ध्यान नहीं देने, इन्द्राजात की दुरूस्ती नहीं करने, विधिक नोटिस प्रेषित किये जाने के तुरन्त पश्चात प्रतिवादीगण का नाराज होकर शीघ्र कब्जा करने की धमकी देने के कारण बमुकाम हिण्डौन तहसील हिण्डौन पैदा होने से दावा हाजा अन्दर मियाद पेश है।

वाद पत्र के मद नं0 12 में दर्ज किया है कि प्रतिवादीगण सभी लोक सेवक हैं जिनके विरूद्ध दावा हाजा पेश करने से पूर्व दो माह मियादी विधिक नोटिस दिया जाना आवश्यक है, वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को दिनांक 27.06.2017 को पंजीकृत विधिक नोटिस प्रेषित कर दिया है, लेकिन प्रतिवादीगण उक्त नोटिस के प्राप्त होने से वादीगण से नाराज हो गये हैं, इस कारण प्रतिवादीगण मौके के विरूद्ध सेटिलमेन्ट कर्मीयों द्वारा तैयार किये गये नवीन नक्शा ट्रेस व खातेदारी के आधार पर वादीगण को उनकी खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी भूमि से शीघ्र बेदखल करने पर उतारू हैं इसलिए वादीगण द्वारा यदि नोटिस की अवधि तक वाद पेश करने का इन्तजार किया तो वादीगण का दावा पेश करने का मकसद ही फौत हो जावेगा, दावा वादीगण अति आवश्यक प्रकृति का है, इसलिए न्यायालय हाजा से अनुमति प्राप्त कर नोटिस अवधि पूर्ण होने से पूर्व दावा विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश किया जा रहा है।

वाद पत्र के मद नं0 13 में दर्ज किया है कि विवादित आराजी एवं पक्षकारान मुकदमा हाजा कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन के निवासी हैं, इसलिए दावा हाजा की सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को प्राप्त है।

वाद पत्र के मद नं0 15 में दर्ज किया है कि इस्तदुआ दादरसी हस्ब जैल अर्ज है कि दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण बावत इन्द्राज दुरूस्ती व घोषणा इस प्रकार डिक्री फरमाया जावे कि प्रतिवादी संख्या 3 की खातेदारी के खसरा नम्बर 7167 का उत्तरी तरफ वाला 14 एयर हिस्सा वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है जिसे वादीगण की खातेदारी के नवीन खसरा नम्बर 7154, 7155 के बटा नम्बर के तौर पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर खातेदारी वादीगण के नाम घोषित कर दर्ज नक्शा ट्रेस कर अमल राजस्व रिकार्ड किया जावे, एवं प्रतिवादी संख्या 3 की खातेदारी के खसरा नम्बर 7167 के रकबा

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

23 एयर की बजाय 9 एयर खातेदारी एवं नक्शा ट्रेस तथा मिलान क्षेत्रफल में उक्त नवीन खसरा नम्बर 7167 का साबिक खसरा नम्बर 4505 के बजाय 4502 दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राजात की दुरूस्ती की जावे। वादीगण की भूमि के पूर्व में स्थित नवीन खसरा नम्बर 7098 के नक्शा ट्रेस में भी तरफ उत्तर–पश्चिम 1 एयर रकबा कम करके वादीगण की खातेदारी के खसरा नम्बर 7155 की पूर्वी सीमा को 1 एयर की हद तक तरफ पूर्व नक्शा सीट में बढाया जाकर तरमीम की जावे एवं खसरा नम्बर 7098 की नक्शा सीट में उक्त 1 ऐयर रकबे को कम किया ज़ावे, इस बावत आवश्यक राजस्व रिकार्ड के इन्द्राजात में संशोधन किया जावे। दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण बावत स्थायी निषेधाज्ञा इस प्रकार डिक्री फरमाया जावे कि प्रतिवादीगण, वादीगण को उनकी खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी भूमि खसरा नम्बर 4503 व 4504 साबिक के नवीन खसरा नम्बर 7154 रकबा 0.76 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 7155 रकबा 0.75 हैक्टेयर कुल किता–2 कुल रकबा 1.51 हैक्टेयर के रकबे पर साबिक नक्शा ट्रेस के मुताबिक उनके चले आ रहे कब्जे से विधि विरूद्ध रूप से बनाये गये नवीन नक्शा ट्रेस के आधार पर उन्हें नाजायज तौर पर बेदखल कर कब्जा नहीं करे, एवं नवीन नक्शा ट्रेस में वादीगण की भूमि को शामिल कर प्रतिवादी संख्या 3 की खातेदारी में एवं नक्शा ट्रेस में दर्ज की गयी भूमि खसरा नम्बर 7167 के उत्तरी तरफ वाले 14 एयर रकबे के उपयोग उपभोग में एवं खसरा नम्बर 7098 के पश्चिमी तरफ वाले 1 एयर रकबे जिसमें वादीगण की पुरानी डोल बनी है, के उपयोग उपभोग कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण वादीगण को कोई व्यवधान, मजाहमत, मदाखलत पैदा नहीं करे और ना ही अपने किसी प्रतिनिधि से करवावें और ऐसा कोई कृत्य नही करे जिससे उक्त आराजी के संबंध मे वादीगण के हक हकूकों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 व 2 की ओर से पेरोकार सरकार नायबतहसीलदार हिण्डौन उपस्थित आया किन्तु कई अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जबावदावा पेश नहीं किया गया। प्रतिवादी सं03 बाद तामील जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

तथा जबावदावा पेश कर जबावदावा के मद नं01 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं01 वादीगण को साबित करना है।

जबावदावा के मद नं02 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं02 वादीगण को साबित करना है।

जबावदावा के मद नं03 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं03 वादीगण को साबित करना है।

जबावदावा के मद नं04 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं04 वादीगण को साबित करना है।

जबावदावा के मद नं05 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं05 कतई गलत होने के कारण अस्वीकार है। भू–प्रबन्ध विभाग ने मौके पर जाकर साबिक रिकार्ड के अनुसार राजस्व रिकार्ड सही कायम किया है। भू–प्रबन्ध विभाग से राजस्व रिकार्ड फाईनल करने से पूर्व हितकारी व्यक्तियों को मौके पर जाकर उज्रात सुनकर कच्ची पर्ची कायम, पूर्व मिलान क्षेत्रफल कायम कर पर्चा लगान कायम कर राजस्व रिकार्ड सही कायम किया है। इतने अंतराल के बाद इन्द्राज दुरूस्ती का दावा खिलाफ कानून तथा म्याद बाहर है।

जबावदावा के मद नं06 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं06 जिस प्रकार तहरीर किया गया है, स्वीकार नहीं है। नक्शा ट्रेस में तरमीम करने का कोई धारा 136 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत प्रावधान नहीं है।

जबावदावा के मद नं07 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं07 जिस प्रकार तहरीर किया गया है, स्वीकार नहीं है। नवीन खसरा नम्बर 7176 नगर परिषद हिण्डौन की खातेदारी में गैर मुमकिन झेरा की भूमि है। कृषि भूमि नहीं है। इसलिए गै0मु0 झेरा की भूमि के बारे में धारा 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत तुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है।

जबावदावा के मद नं08 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं08 जिस प्रकार तहरीर किया गया है, स्वीकार नहीं है। छतरी, तिवारा, चबूतरा कृषि भूमि की परिधि में नहीं आते हैं इसलिए वादीगण ने छतरी तिवारा चबूतरा की भूमि के बारे में सम्मानीय अदालत में दावा गलत पेश किया है।

जबावदावा के मद नं09 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं09 जिस प्रकार तहरीर किया गया है, स्वीकार नहीं है। दिनांक 24.06.2017 को या कभी भी नगर परिषद हिण्डौन के कोई कर्मचारी या अधिकारी मौके पर जे.सी.बी. मशीन लेकर नहीं गये ना ही कोई धमकी दी। वादीगण के इस मद में दर्ज समस्त तथ्य मनगढन्त हैं।

जबावदावा के मद नं010 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं010 कतई गलत होने के कारण अस्वीकार है। वादीगण ने दावा दायरी से पूर्व नगर परिषद हिण्डौन को धारा 304 राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत 2 माह का कानूनी नोटिस नहीं दिया है। इसलिए दावा वादीगण अन्तर्गत ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी खारिज होने योग्य है।

जबावदावा के मद नं011 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं0 11 कतई गलत होने के कारण अस्वीकार है। वादीगण को नगर परिषद हिण्डौन के विरूद्ध दिनांक 24.06.2017 को कोई कॉज ऑफ एक्शन पैदा नहीं हुआ। दावा म्याद बाहर पेश किया है।

जबावदावा के मद नं012 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं0 12 कतई गलत होने के कारण अस्वीकार है। इसका सम्पूर्ण जबाव, जबावदावा के मद नं010 में दिया जा चुका है। दावा गलत है तथा खिलाफ कानून पेश किया है।

जबावदावा के मद नं013 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं0 13 कतई गलत होने के कारण अस्वीकार है। वादीगण ने नेचर ऑफ दी लैण्ड पुरानी छतरी, चबूतरा, पेड पौधे, खण्ड, तथा पाटौर पोश की भूमि बताई है। कृषि भूमि नहीं है। राजस्व रिकार्ड में भी गैर0मु0झेरा की भूमि दर्ज है, इसलिए सम्मानीय अदालत को दावा हाजा का श्रवणाधिकार नहीं है।

जबावदावा के मद नं014 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं0 14 का जबाव, जबावदावा के मद नं0 13 में दिया जा चुका है।

जबावदावा के मद नं015 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं0 15 कतई गलत होने के कारण अस्वीकार है। वादीगण कोई रिलीफ प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः दावा वादीगण मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

(12)

राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार हिण्डौन ने उक्त प्रकरण में उपस्थित होकर जबाव पेश नहीं करने पर न्यायालय हाजा द्वारा पत्रांक कोर्ट/2021/793 दिनांक 28.01.2021 को तहसीलदार हिण्डौन को लिखा गया कि मुकदमा नं0 82/2017 दावा एवं प्रार्थना पत्र 69/2017 प्रेमकंवर बनाम राजस्थान सरकार में जबाव एवं मौका रिपोर्ट पेश करें अन्यथा प्रकरण में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। उक्त पत्र के संदर्भ में तहसीलदार हिण्डौन ने पत्रांक एलआर/2021/861 दिनांक 23.02.2021 में अंकित किया है कि मुकदमा नं0 82/2017 दावा एवं प्रार्थना पत्र 69/2017 के प्रकरण में साबिक खसरा नम्बर 4503, 4504, 4502, हाल वर्तमान खसरा नम्बर 7154,7155, 7167 वाके ग्राम कस्बा हिण्डौन मौका रिपोर्ट मय नक्शा मुताविक रिपोर्ट भू-अभिलेख निरीक्षक वृत हिण्डौन निम्नानुसार अंकित है :-

1. यह कि, कस्बा हिण्डौन स्थित साबिक खसरा नम्बर 4503 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा, 4504 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा संलग्न मुताविक जमाबन्दी ग्राम कस्बा हिण्डौन सम्बत् 2037-40 में सूरजसिंह हरिसिंह पि0 रघुनाथसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा साबिक खसरा नम्बर 4502 रकबा 7 बिस्वा के स्थान पर भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा सहवन से खसरा नम्बर 4505 रकबा 7 बिस्वा अंकित कर दिया है जो कस्बा हिण्डौन साबिक जमाबन्दी में जिम्मन नं01 में राजकीय भूमि के खाते दर्ज है। मुताविक भू-प्रबन्ध बन्दोवस्त मिलान क्षेत्रफल के साबिक खसरा नम्बर 4502 के बजाय 4505 कर दिया है। जबकि साबिक खसरा नम्बर 4505 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा का हाल खसरा नम्बर 7115 रकबा 0.13 है0, 7116 रकबा 0.13 है0, 7117 रकबा 0.17 है0, 7118 रकबा 0.14 है0, कुल रकबा 0.57 है0 बना हुआ है जो हाल खसरा नम्बर 7154, 7155 के पूर्व दिशा के विपरीत में है। जिसका साबिक व हाल रकबा भी मेल खाता है।
2. यह कि, कस्बा हिण्डौन स्थित साबिक खसरा नम्बर 4503 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा का हाल खसरा नम्बर 7154 रकबा 0.84 है0 एवं साबिक खसरा नम्बर 4504 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा का हाल खसरा नम्बर 7155 रकबा 0.81 है0 संलग्न मुताविक मिलान क्षेत्रफल बना है। लेकिन भू-प्रबन्ध खतौनी

में सहवन से हाल खसरा नम्बर 7154 का रकबा 0.76 है0 एवं खसरा नम्बर 7155 का रकबा 0.75 है0 दर्ज कर दिया है, जो गलत है। कस्बा हिण्डौन जमाबन्दी सं0 2071– 74 में वर्तमान जमाबन्दी में खसरा नं0 7154 रकबा 0.76 है0, 7155 रकबा 0.75 है0 सूरजसिंह हरीसिंह पि0 रघुनाथसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम खातेदारी के नाम दर्ज है। इस प्रकार भू–प्रबन्ध बन्दोवस्त रिकार्ड मुताविक कुल रकबा 1.65 है0 के स्थान पर 1.51 है0 कर दिया, जिससे खातेदार का 0.14 है0 रकबा कम होना प्रतीत होता है।

3. यह कि, कस्बा हिण्डौन स्थित साबिक खसरा नम्बर 4502 रकबा 7 बिस्वा को मिलान क्षेत्रफल में सहवन से खसरा नम्बर 4505 रकबा 7 बिस्वा अंकित है तथा साबिक खसरा नम्बर 4502 (4505) का हाल खसरा नम्बर 7167 रकबा 0.23 है0 बना है। जो हाल जमाबन्दी कस्बा हिण्डौन सम्बत् 2071–74 में नगर परिषद हिण्डौन के नाम दर्ज रिकार्ड है, भू–प्रबन्ध से पूर्व खसरा नम्बर 4502 का रकबा 7 बिस्वा था, जिसका मैट्रिक प्रणाली में क्षेत्रफल 0.0875 है0 पूर्णांक में 0.09 है0 होना चाहिए था, लेकिन भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा साबिक खसरा नम्बर 4502 का हाल खसरा नम्बर 7167 बनाकर रकबा 0.23 है0 अंकित कर दिया गया है, इस प्रकार खातेदार सूरजसिंह हरीसिंह पि0 रघुनाथसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम का 0.14 है0 रकबा कम कर नगर परिषद हिण्डौन के खाते में बढा दिया जाना प्रतीत होता है, जो साबिक नक्शा व वर्तमान नक्शा के मिलान करने से भी स्पष्ट प्रतीत होता है।

4. यह कि, कस्बा हिण्डौन के साबिक नक्शा एवं वर्तमान नक्शा का मिलान करने पर सडक के पश्चिम में एक भू–खण्ड है, जो वर्तमान में खसरा नम्बर 7167 नगर परिषद हिण्डौन के नक्शे में मिला हुआ है, उसमें से 0. 14 है0 रकबा खातेदार सूरजसिंह हरिसिंह पि0 रघुनाथसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम के खाते में कम अंकित होना प्रतीत होता है।

5. मिलान क्षेत्रफल, भू–प्रबन्ध खतौनी एवं हाल जमाबन्दी की तुल्नात्मक स्थिति –

मिलान क्षेत्रफल				भू–प्रबन्ध		हाल जमाबन्दी	
हाल		साबिक		खतौनी			
ख0नं0	रकबा	ख0नं0	रकबा	ख0नं0	रकबा	ख0नं0	रकबा
7154	0.84	4503	3 बीघा 7 बिस्वा	7154	0.76	7154	0.76
7155	0.81	4504	3 बीघा 4 बिस्वा	7155	0.75	7155	0.75
7167	0.23	4502	07 बिस्वा	7167	0.23	7167	0.23
7115	0.13	4505मि.	2 बीघा 7 बिस्वा	7115	0.13	7115	0.13
7116	0.13	4505मि.	2 बीघा 7 बिस्वा	7116	0.13	7116	0.13
7117	0.17	4505मि.	2 बीघा 7 बिस्वा	7117	0.17	7117	0.17
7118	0.14	4505मि.	2 बीघा 7 बिस्वा	7118	0.14	7118	0.14

अतः कस्बा हिण्डौन के साबिक नक्शा व हाल नक्शा तथा उक्त सारणी से स्पष्ट है कि भू–प्रबन्ध के समय खातेदार सूरजसिंह हरीसिंह पि0 रघुनाथ जाति राजपूत निवासी ग्राम का रकबा 0.14 है0 घटा दिया एवं खसरा नम्बर 7167 में 0.14 है0 अधिक कर दिया होना प्रतीत होता है। रिपोर्ट आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

दावा एवं जबावदावा के आधार पर प्रकरण में निम्नलिखित तनकीयात कायम की गई :–

1. आया वादीगण के बुजुर्गान के खातेदारान की भूमि के साबिक खसरा नम्बर 4503 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा, 4504 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा स्थित हिण्डौन के नवीन खसरा नम्बर 7154 रकबा 0.84 है0, 7155 रकबा 0.81 है0, तथा राजकीय भूमि साबिक खसरा नम्बर 4502 रकबा 7 बिस्वा का हाल खसरा नम्बर 7167 रकबा 0.23 है0 सेटिलमेन्ट कर्मियों द्वारा विधि विरूद्ध रूप से कायम कर मिलान क्षेत्रफल में साबिक खसरा नम्बर 4502 साबिक का नवीन खसरा नम्बर 7115, 7116, 7117, 7118 कायम किये हैं, इस प्रकार सेटिलमेन्ट कर्मियों द्वारा साबिक खसरा नम्बर 4502 के स्थान पर रिकार्ड में 4505 व 4502 के रकबा 7 बिस्वा के स्थान पर 0.23 है0 विधि विरूद्ध रूप से वादीगण की खातेदारी की भूमि को शामिल कर,

(15)

कायम किये हैं एवं साबिक नक्शा ट्रेस के विपरीत नवीन नक्शा ट्रेंस में भी वादीगण की दक्षिण पश्चिम तरफ की भूमि करीब 14 एयर को कम करके खसरा नम्बर 4502 की 7 बिस्वा भूमि से बने नवीन खसरा नम्बर 7167 में शामिल कर दिया है, उक्त विधि विरूद्ध इन्द्राजों को वादीगण दुरूस्त करवाने के विधिक रूप से हकदार हैं। – जिम्मे वादीगण

2. आया हाल खसरा नम्बर 7167 की उत्तरी तरफ वाली 14 एयर भूमि मुताविक साबिक नक्शा सीट वादीगण की खातेदारी की भूमि है, जिसे वादीगण की खातेदारी भूमि नवीन खसरा नम्बर 7154 व 7155 में जरिये बटा नम्बर के तौर पर शामिल कराने एवं प्रतिवादी सं03 की खातेदारी में रकबा 0.23 है0 की बजाय 0.09 है0 दर्ज करवाने, नवीन खसरा नम्बर 7098 के नक्शा ट्रेस में तरफ उत्तर पश्चिम 1 एयर रकबा, खसरा नम्बर 7155 की पूर्वी सीमा में दर्ज करवाने और इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाने के वादीगण विधिक रूप से हकदार हैं। – जिम्मे वादीगण

3. आया वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने के मुश्तहक हैं। – जिम्मे वादीगण

4. आया वादीगण ने नगर पालिका को विधिक नोटिस नहीं दिया है, इसका वाद पर क्या असर है। – जिम्मे प्रतिवादीगण

5. आया विवादित भूमि कृषि भूमि नहीं है, इस कारण दावा वादी काबिले खारिज है। – जिम्मे प्रतिवादीगण

6. अनुतोष

वकील वादीगण ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सम्बत् 2037 –40 प्रदर्श–1, नकल नक्शा ट्रेस हाल नम्बरान प्रदर्श–2, नकल नक्शा ट्रेस साबिक नम्बरान प्रदर्श–3, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–4, नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 प्रदर्श– 5, नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 प्रदर्श– 6, नकल जमाबन्दी सम्बत् 2037 –40 प्रदर्श–7, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–8, नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 प्रदर्श– 9, नकल जमाबन्दी सम्बत् 2037 –40 प्रदर्श–10, नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 प्रदर्श– 11, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–12, नोटिस

पंजीकृत विधिक नोटिस अन्तर्गत धारा 80 जा0दी0 दिनांक 27.06.2017 प्रदर्श–13, रजिस्टर्ड डांक की रसीद किता 3 प्रदर्श–14,15,16, रजिस्टर्ड डांक की प्राप्ति रसीद प्रदर्श–17, तहसीलदार हिण्डौन का पत्रांक एलआर/2021/861 दिनांक 23.02.2021 प्रदर्श–18, भू–अभिलेख निरीक्षक वृत हिण्डौन की रिपोर्ट दिनांक 18.02.2021 प्रदर्श–19, पेश किये हैं तथा जुवानी सहादत में वादी अजयसिंह ने स्वंय का वास्ते बयान शपथ पत्र पेश कर बयान कराये हैं।

इसके विपरीत वकील प्रतिवादी सं0 3 ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2071–74, नकल खसरा गिरदावरी सं0 2073, नकल नक्शा सीट हाल नम्बर, नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 पेश किये हैं।

वकील वादीगण एवं प्रतिवादी सं03 के वकील उपस्थित। वकील वादीगण एवं प्रतिवादी सं03 के वकील की बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने दौराने बहस वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और वादीगण का दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया है। इसके विपरीत वकील प्रतिवादी सं03 ने जबावदावा में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और वादीगण का दावा खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। दावा एवं जबावदावा के आधार पर प्रकरण में कायम की गई तनकीयात का निर्णय निम्नानुसार किया जाता है –

निर्णय तनकी नं01 :– आया वादीगण के बुजुर्गान के खातेदारान की भूमि के साबिक खसरा नम्बर 4503 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा, 4504 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा स्थित हिण्डौन के नवीन खसरा नम्बर 7154 रकबा 0.84 है0, 7155 रकबा 0.81 है0, तथा राजकीय भूमि साबिक खसरा नम्बर 4502 रकबा 7 बिस्वा का हाल खसरा नम्बर 7167 रकबा 0.23 है0 सेटिलमेन्ट कर्मियों द्वारा विधि विरूद्ध रूप से कायम कर मिलान क्षेत्रफल में साबिक खसरा नम्बर 4502 साबिक का नवीन खसरा नम्बर 7115, 7116, 7117, 7118 कायम किये हैं, इस प्रकार सेटिलमेंन्ट कर्मियों द्वारा साबिक खसरा नम्बर 4502 के स्थान पर रिकार्ड में 4505 व 4502 के रकबा 7 बिस्वा के स्थान पर 0.23 है0 विधि विरूद्ध रूप से वादीगण की खातेदारी की भूमि को शामिल कर, कायम किये हैं एवं साबिक

नक्शा ट्रेस के विपरीत नवीन नक्शा ट्रेस में भी वादीगण की दक्षिण पश्चिम तरफ की भूमि करीब 14 एयर को कम करके खसरा नम्बर 4502 की 7 बिस्वा भूमि से बने नवीन खसरा नम्बर 7167 में शामिल कर दिया है, उक्त विधि विरूद्ध इन्द्राजों को वादीगण दुरूस्त करवाने के विधिक रूप से हकदार हैं। इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण के जिम्मे है। जिसको साबित करने के लिए वकील वादीगण ने दस्तावेजी सबूत नकल जमाबन्दी सम्बत् 2037 –40 प्रदर्श–1 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 4503 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा, 4504 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा कस्बा हिण्डौन की खातेदारी सूरजसिंह व हरीसिंह पि0 रघुनाथसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–4 के अनुसार दौराने सेटिलमेन्ट साबिक खसरा नम्बर 4503 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा से हाल खसरा नम्बर 7154 रकबा 0.84 है0 एवं साबिक खसरा नम्बर 4504 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा से हाल खसरा नम्बर 7155 रकबा 0.81 है0 कस्बा हिण्डौन कायम किये गये हैं।

नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 प्रदर्श– 5 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 7154 रकबा 0.76 है0, 7155 रकबा 0.75 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.51 है0 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन की खातेदारी सूरजसिंह हरीसिंह पि0 रघुनाथसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 प्रदर्श– 6 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 7156 रकबा 1.24 है0 किस्म गै0मु0 सडक कस्बा हिण्डौन की खातेदारी सडक (पी0डब्लू0डी0) के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सम्बत् 2037 –40 प्रदर्श–7 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 4502 रकबा 7 बिस्वा कस्बा हिण्डौन की खातेदारी राजकीय भूमि दर्ज रिकार्ड है।

नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–8 के अनुसार दौराने सेटिलमेन्ट साबिक खसरा नम्बर 4505 रकबा 7 बिस्वा से हाल खसरा नम्बर 7167 रकबा 0.23 है0 कस्बा हिण्डौन कायम किया गया है।

नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 प्रदर्श– 9 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 7167 रकबा 0.23 है0 कस्बा हिण्डौन की खातेदारी नगर पालिका हिण्डौन के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सम्बत् 2037 –40 प्रदर्श–10 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 4505 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा कस्बा हिण्डौन की खातेदारी शिवशंकर गौरीशंकर पिसरान लोहडेराम जाति ब्राहम्ण रिआयतदार परमोली गुरग्या पि0 नंगू गिर्राज भरोसी पि0 गंगाधर धर्मसिंह पुत्र किशोर नावालिगान ब बलायत माता खुद किशन्या बेबा किशोरी धनीराम पुत्र मुरली भीमा पुत्र प्रभू जाति चमार निवासी ग्राम हि0ब0 पट्टेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–12 के अनुसार दौराने सेटिलमेन्ट साबिक खसरा नम्बर 4505 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा से हाल खसरा नम्बर 7115 रकबा 0.13 है0, 7116 रकबा 0.13 है0, 7117 रकबा 0.17 है0, 7118 रकबा 0.14 है0 कस्बा हिण्डौन कायम किये गये हैं।

नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 प्रदर्श– 11 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 7115 रकबा 0.13 है0, 7116 रकबा 0.13 है0, 7117 रकबा 0.17 है0, 7118 रकबा 0.14 है0 कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन की खातेदारी महेन्द्र श्रीकिशन सतीश पि0 परभाती रूपन्ती बेबा परभाती मछला सरोज पुत्री परभाती हि01/36, खेमसिंहं पुत्र परमोली रामकली पुत्री परमोली हि0 2/36, गुरगैया पुत्र नंगू हि01/12, कन्हैयालाल पुत्र सोनपाल हि01/6, चन्दन पूरन तेजू प्रेमसिंह पिस0 धनीराम लौहरी बेबा धनीराम हि0ब0हि0 1/6, भीमा पुत्र प्रभू हि01/6, मु0 सरूपी बेबा गिर्राज मोहनलाल गज्जी पि0 गिर्राज हि0ब0हि01/6, बुद्धुराम सुगरसिंह दिनेश पप्पू पि0 भरोसी हि0 4/30, गोविन्द पुत्र जगमोहन ललता पुत्री जगमोहन लखनबाई बेबा जगमोहन हि01/30 जाति चमार निवासी ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

तहसीलदार हिण्डौन ने पत्रांक एलआर/2021/861 दिनांक 23.02. 2021 में अंकित किया है कि मुकदमा नं0 82/2017 दावा एवं प्रार्थना पत्र 69/2017 के प्रकरण में साबिक खसरा नम्बर 4503, 4504, 4502, हाल वर्तमान

खसरा नम्बर 7154,7155, 7167 वाके ग्राम करबा हिण्डौन मौका रिपोर्ट मय नक्शा मुताविक रिपोर्ट भू– अभिलेख निरीक्षक वृत हिण्डौन निम्नानुसार अंकित है :–

1. यह कि, करबा हिण्डौन स्थित साबिक खसरा नम्बर 4503 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा, 4504 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा संलग्न मुताविक जमाबन्दी ग्राम करबा हिण्डौन सम्बत् 2037–40 में सूरजसिंह हरिसिंह पि0 रघुनाथसिंह ज़ाति राजपूत निवासी ग्राम के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा साबिक खसरा नम्बर 4502 रकबा 7 बिस्वा के स्थान पर भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा सहवन से खसरा नम्बर 4505 रकबा 7 बिस्वा अंकित कर दिया है जो कस्बा हिण्डौन साबिक जमाबन्दी में जिम्मन नं01 में राजकीय भूमि के खाते दर्ज है। मुताविक भू–प्रबन्ध बन्दोवस्त मिलान क्षेत्रफल के साबिक खसरा नम्बर 4502 के बजाय 4505 कर दिया है। जबकि साबिक खसरा नम्बर 4505 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा का हाल खसरा नम्बर 7115 रकबा 0.13 है0, 7116 रकबा 0.13 है0, 7117 रकबा 0.17 है0, 7118 रकबा 0.14 है0, कुल रकबा 0.57 है0 बना हुआ है जो हाल खसरा नम्बर 7154, 7155 के पूर्व दिशा के विपरीत में है। जिसका साबिक व हाल रकबा भी मेल खाता है।

2. यह कि, कस्बा हिण्डौन स्थित साबिक खसरा नम्बर 4503 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा का हाल खसरा नम्बर 7154 रकबा 0.84 है0 एवं साबिक खसरा नम्बर 4504 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा का हाल खसरा नम्बर 7155 रकबा 0. 81 है0 संलग्न मुताविक मिलान क्षेत्रफल बना है। लेकिन भू–प्रबन्ध खतौनी में सहवन से हाल खसरा नम्बर 7154 का रकबा 0.76 है0 एवं खसरा नम्बर 7155 का रकबा 0.75 है0 दर्ज कर दिया है, जो गलत है। कस्बा हिण्डौन जमाबन्दी सं0 2071– 74 में वर्तमान जमाबन्दी में खसरा नं0 7154 रकबा 0.76 है0, 7155 रकबा 0.75 है0 सूरजसिंह हरीसिंह पि0 रघुनाथसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम खातेदारी के नाम दर्ज है। इस प्रकार भू–प्रबन्ध बन्दोवस्त रिकार्ड मुताविक कुल रकबा 1.65 है0 के स्थान पर 1.51 है0 कर दिया, जिससे खातेदार का 0.14 है0 रकबा कम होना प्रतीत होता है।

(20)

3. यह कि, कस्बा हिण्डौन स्थित साबिक खसरा नम्बर 4502 रकबा 7 बिस्वा को मिलान क्षेत्रफल में सहवन से खसरा नम्बर 4505 रकबा 7 बिस्वा अंकित है तथा साबिक खसरा नम्बर 4502 (4505) का हाल खसरा नम्बर 7167 रकबा 0.23 है0 बना है। जो हाल जमाबन्दी कस्बा हिण्डौन सम्बत् 2071–74 में नगर परिषद हिण्डौन के नाम दर्ज रिकार्ड है, भू–प्रबन्ध से पूर्व खसरा नम्बर 4502 का रकबा 7 बिस्वा था, जिसका मैट्रिक प्रणाली में क्षेत्रफल 0.0875 है0 पूर्णांक में 0.09 है0 होना चाहिए था, लेकिन भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा साबिक खसरा नम्बर 4502 का हाल खसरा नम्बर 7167 बनाकर रकबा 0.23 है0 अंकित कर दिया गया है, इस प्रकार खातेदार सूरजसिंह हरीसिंह पि0 रघुनाथसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम का 0.14 है0 रकबा कम कर नगर परिषद हिण्डौन के खाते में बढा दिया जाना प्रतीत होता है, जो साबिक नक्शा व वर्तमान नक्शा के मिलान करने से भी स्पष्ट प्रतीत होता है।

4. यह कि, कस्बा हिण्डौन के साबिक नक्शा एवं वर्तमान नक्शा का मिलान करने पर सडक के पश्चिम में एक भू–खण्ड है, जो वर्तमान में खसरा नम्बर 7167 नगर परिषद हिण्डौन के नक्शे में मिला हुआ है, उसमें से 0.14 है0 रकबा खातेदार सूरजसिंह हरिसिंह पि0 रघुनाथसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम के खाते में कम अंकित होना प्रतीत होता है।

5. मिलान क्षेत्रफल,भू–प्रबन्ध खतौनी एवं हाल जमाबन्दी की तुल्नात्मक स्थिति

मिलान क्षेत्रफल				भू–प्रबन्ध खतौनी		हाल जमाबन्दी	
हाल		साबिक					
ख0नं0	रकबा	ख0नं0	रकबा	ख0नं0	रकबा	ख0नं0	रकबा
7154	0.84	4503	3 बीघा 7 बिस्वा	7154	0.76	7154	0.76
7155	0.81	4504	3 बीघा 4 बिस्वा	7155	0.75	7155	0.75
7167	0.23	4502	07 बिस्वा	7167	0.23	7167	0.23
7115	0.13	4505मि.	2 बीघा 7 बिस्वा	7115	0.13	7115	0.13
7116	0.13	4505मि.	2 बीघा 7 बिस्वा	7116	0.13	7116	0.13
7117	0.17	4505मि.	2 बीघा 7 बिस्वा	7117	0.17	7117	0.17
7118	0.14	4505मि.	2 बीघा 7 बिस्वा	7118	0.14	7118	0.14

अतः कस्बा हिण्डौन के साबिक नक्शा व हाल नक्शा तथा उक्त सारणी से स्पष्ट है कि भू-प्रबन्ध के समय खातेदार सूरजसिंह हरीसिंह पि0 रघुनाथ जाति राजपूत निवासी ग्राम का रकबा 0.14 है0 घटा दिया एवं खसरा नम्बर 7167 में 0.14 है0 अधिक कर दिया होना प्रतीत होता है। रिपोर्ट आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

उपरोक्त विवेचन तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन से एवं नकल नक्शा ट्रेस हाल नम्बरान प्रदर्श-2 एवं नकल नक्शा ट्रेस साबिक नम्बरान प्रदर्श-3 के मिलान करने पर यह साफ जाहिर है कि साबिक खसरा नम्बर 4503 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा, 4504 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा के दौराने सेटिलमेन्ट कायम किया गया नवीन खसरा नम्बर 7167 रकबा 0.23 है0 में वादीगण की खातेदारी की भूमि लगभग 0.14 है0 को मिलाते हुए कायम किया है। अर्थात हाल खसरा नम्बर 7167 रकबा 0.23 है0 कस्बा हिण्डौन में वादीगण की 0.14 है0 भूमि शामिल है क्योंकि हाल खसरा नम्बर 7167 रकबा 0.23 है0 साबिक खसरा नम्बर 4502 रकबा 7 बिस्वा से बना है। जबकि सेटिलमेन्ट विभाग वालों ने खसरा नम्बर 4505 रकबा 7 बिस्वा से हाल खसरा नम्बर 7167 रकबा 0.23 है0 मिलान क्षेत्रफल में प्रदर्शित किया है तथा साबिक खसरा नम्बर 4505 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा का था, जिसके सेटिलमेन्ट विभाग वालों ने दौराने सेटिलमेन्ट मिलान क्षेत्रफल में नवीन खसरा नम्बर 7115 रकबा 0.13 है0, 7116 रकबा 0.13 है0, 7117 रकबा 0.17 है0, 7118 रकबा 0.14 है0 कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन कायम किये हैं जिनकी खातेदारी महेन्द्र श्रीकिशन सतीश पि0 परभाती रूपन्ती बेबा परभाती मछला सरोज पुत्री परभाती हि01/36, खेमसिंह पुत्र परमोली रामकली पुत्री परमोली हि0 2/36, गुरगैया पुत्र नंगू हि01/12, कन्हैयालाल पुत्र सोनपाल हि01/6, चन्दन पूरन तेजू प्रेमसिंह पिस0 धनीराम लौहरी बेबा धनीराम हि0ब0हि0 1/6, भीमा पुत्र प्रभू हि01/6, मु0 सरूपी बेबा गिर्राज मोहनलाल गज्जी पि0 गिर्राज हि0ब0हि01/6, बुद्धुराम सुगरसिंह दिनेश पप्पू पि0 भरोसी हि0 4/30, गोविन्द पुत्र जगमोहन ललता पुत्री जगमोहन लखनबाई बेबा जगमोहन हि01/30 जाति चमार निवासी ग्राम खातेदार के नाम

दर्ज रिकार्ड है तथा साविक खसरा नम्बर 4505 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा कस्बा हिण्डौन की खातेदारी शिवशंकर गौरीशंकर पिसरान लोहडेराम जाति ब्राहम्ण रिआयतदार परमोली गुरग्या पि० नंगू गिर्राज भरोसी पि० गंगाधर धर्मसिंह पुत्र किशोर नावालिगान ब बलायत माता खुद किशन्या बेबा किशोरी धनीराम पुत्र मुरली भीमा पुत्र प्रभू जाति चमार निवासी ग्राम हि०ब० पट्टेदार के नाम दर्ज रिकार्ड रही है तथा खसरा नम्बर 4502 रकबा 7 बिस्वा राजकीय भूमि रही है। जो तहसीलदार हिण्डौन के पत्रांक एलआर/2021/861 दिनांक 23.02.2021 के अवलोकन से स्पष्ट होती है। हाल खसरा नम्बर 7154 व 7155 में होकर सडक पी०डब्लू०डी० विभाग की निकल गई है। जिसका हाल खसरा नम्बर 7156 रकबा 1.24 है० किस्म गै०मु० सडक कस्बा हिण्डौन की खातेदारी सडक (पी०डब्लू०डी०) के नाम दर्ज रिकार्ड है। वादीगण की खातेदारी की उक्त भूमि हाल खसरा नम्बर 7154 व 7155 की भूमि सडक के दोनों तरफ है अर्थात खसरा नम्बर 7167 रकबा 0.23 है० में रकबा 0.14 है० वादीगण की खातेदारी की भूमि है, जिसको सेटिलमेन्ट विभाग वालों ने राजकीय भूमि दर्ज कर दिया तथा कस्बा हिण्डौन की समस्त राजकीय भूमि सिवायचक को नगर पालिका हिण्डौन की खातेदारी में धारा 90 बी. के तहत दर्ज कर दिया है। हाल खसरा नम्बर 7167 रकबा 0.23 है० वर्तमान में नगरपालिका हिण्डौन के नाम दर्ज है किन्तु उक्त भूमि धारा 90 बी. से पूर्व राजकीय भूमि सिवायचक दर्ज रिकार्ड रही है जो उपरोक्त दस्तावेजी सबूतों से स्पष्ट है। खसरा नम्बर 7167 रकबा 0.23 है० कस्बा हिण्डौन की नगर पालिका के नाम दर्ज हो जाने से वादीगण के अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पडना साबित है जबकि खसरा नम्बर 7167 रकबा 0.23 है० में से रकबा 0.14 है० उत्तरी भाग वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात है जो साबिक व हाल राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व सीट के मिलान करने एवं तहसीलदार हिण्डौन की रिपोर्ट से स्पष्ट हो चुकी है, जिसके आधार पर खातेदारी वादीगण अपने हक में कराने के हकदार भी साबित होते हैं तथा खसरा नम्बर 7167 रकबा 0.23 है० में से 0.09 है० भूमि दक्षिणी तरफ की नगर परिषद हिण्डौन की खातेदारी में रखा जाना एवं खसरा नम्बर 7167 रकबा 0.23 है० में से 0.14 है० उत्तरी तरफ की भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना

न्यायोचित प्रतीत होता है तथा वादीगण की खातेदारी की भूमि में होकर सडक पी0डब्लू0डी0 विभाग की निकल जाने के कारण खसरा नम्बर 7154 में से रकबा 0.08 है0 एवं खसरा नम्बर 7155 में से रकबा 0.06 है0 कस्बा हिण्डौन को पी0डब्लू0 डी0 विभाग की खातेदारी में दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अत यह तनकी बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

निर्णय तनकी नं02 :– आया हाल खसरा नम्बर 7167 की उत्तरी तरफ वाली 14 एयर भूमि मुताविक साबिक नक्शा सीट वादीगण की खातेदारी की भूमि है, जिसे वादीगण की खातेदारी भूमि नवीन खसरा नम्बर 7154 व 7155 में जरिये बटा नम्बर के तौर पर शामिल कराने एवं प्रतिवादी सं03 की खातेदारी में रकबा 0.23 है0 की बजाय 0.09 है0 दर्ज करवाने, नवीन खसरा नम्बर 7098 के नक्शा ट्रेस में तरफ उत्तर पश्चिम 1 एयर रकबा, खसरा नम्बर 7155 की पूर्वी सीमा में दर्ज करवाने और इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाने के वादीगणं विधिक रूप से हकदार हैं। इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण के जिम्मे है। तनकी नं01 के निर्णय में विस्तृत विवेचन किया जा चुका है और यह स्पष्ट हो चुका है कि खसरा नम्बर 7167 रकबा 0.23 है0 में से 0.09 है0 भूमि दक्षिणी तरफ की नगर परिषद हिण्डौन की खातेदारी में रखा जाना एवं खसरा नम्बर 7167 रकबा 0.23 है0 में से 0.14 है0 उत्तरी तरफ की भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है तथा वादीगण की खातेदारी की भूमि में होकर सडक पी0डब्लू0डी0 विभाग की निकल जाने के कारण खसरा नम्बर 7154 में से रकबा 0.08 है0 एवं खसरा नम्बर 7155 में से रकबा 0.06 है0 कस्बा हिण्डौन को पी0डब्लू0 डी0 विभाग की खातेदारी में दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराने के वादीगण हकदार साबित हो चुके हैं। अतः यह तनकी बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

निर्णय तनकी नं0 3 :– आया वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने के मुश्तहक हैं। इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण के जिम्मे है। तनकी नं01 व 2 के निर्णय में विस्तृत विवेचन किया जा चुका हैं और यह स्पष्ट हो चुका है कि खसरा नम्बर 7167 रकबा 0.23 है0 में से

0.09 है0 भूमि दक्षिणी तरफ की नगर परिषद हिण्डौन की खातेदारी में रखा जाना एवं खसरा नम्बर 7167 रकबा 0.23 है0 में से 0.14 है0 उत्तरी तरफ की भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है तथा वादीगण की खातेदारी की भूमि में होकर सडक पी0डब्लू0डी0 विभाग की निकल जाने के कारण खसरा नम्बर 7154 में से रकबा 0.08 है0 एवं खसरा नम्बर 7155 में से रकबा 0.06 है0 कस्बा हिण्डौन को पी0डब्लू0 डी0 विभाग की खातेदारी में दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराने के वादीगण हकदार साबित हो चुके हैं। जब वादीगण विवादित आराजी खसरा नम्बर 7167 रकबा 0.23 है0 में से रकबा 0.14 है0 उत्तरी भाग की भूमि की खातेदारी अपने नाम कराने के अधिकारी साबित हो चुके हैं तो वादीगण को स्वतः ही ये अधिकार प्राप्त हो जाते हैं कि वे अपनी खातेदारी की भूमि के बाबत् प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के भी अधिकारी साबित हैं। अतः यह तनकी बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

निर्णय तनकी नं0 4 :– आया वादीगण ने नगर पालिका को विधिक नोटिस नहीं दिया है, इसका वाद पर क्या असर है। इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण के जिम्मे है। जिसके सम्बन्ध में वादीगण ने दस्तावेजी सबूत में नोटिस पंजीकृत विधिक नोटिस अन्तर्गत धारा 80 जा0दी0 दिनांक 27.06.2017 प्रदर्श– 13, रजिस्टर्ड डांक की रसीद किता 3 प्रदर्श–14,15,16, रजिस्टर्ड डांक की प्राप्ति रसीद प्रदर्श–17 पेश की हैं, जिनके अवलोकन से यह साफ जाहिर है कि दिनांक 27.06.2017 को वादीगण ने जरिये अधिवक्ता नोटिस पंजीकृत विधिक नोटिस अन्तर्गत धारा 80 जा0दी0 का प्रतिवादीगण को दिया गया है। अतः यह तनकी बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

निर्णय तनकी नं0 5 :– आया विवादित भूमि कृषि भूमि नहीं है, इस कारण दावा वादी काबिले खारिज है। इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण के जिम्मे है। प्रतिवादीगण के द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 7167 रकबा 0.23 है0 कस्बा हिण्डौन आबादी के उपयोग में आ रही हो अथवा उक्त भूमि में आबादी बसी हुई हो

(८५)

तथा विवादित आराजीयात कृषि भूमि नहीं हो। अतः यह तनकी बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

अनुतोष :— उपरोक्त वर्णित सभी तनकीयात का निर्णय बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण हुआ है तथा यह स्पष्ट हो चुका है कि खसरा नम्बर 7167 रकबा 0.23 है0 में से 0.09 है0 भूमि दक्षिणी तरफ की नगर परिषद हिण्डौन की खातेदारी में रखा जाना एवं खसरा नम्बर 7167 रकबा 0.23 है0 में से 0.14 है0 उत्तरी तरफ की भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है तथा वादीगण की खातेदारी की भूमि में होकर सडक पी0डब्लू0डी0 विभाग की निकल जाने के कारण खसरा नम्बर 7154 में से रकबा 0.08 है0 एवं खसरा नम्बर 7155 में से रकबा 0.06 है0 कस्बा हिण्डौन को पी0डब्लू0 डी0 विभाग की खातेदारी में दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराने के वादीगण हकदार साबित हो चुके हैं। जब वादीगण विवादित आराजी खसरा नम्बर 7167 रकबा 0.23 है0 में से रकबा 0.14 है0 उत्तरी भाग की भूमि की खातेदारी अपने नाम कराने के अधिकारी साबित हो चुके हैं तो वादीगण को स्वतः ही ये अधिकार प्राप्त हो जाते हैं कि वे अपनी खातेदारी की भूमि के बाबत् प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के भी अधिकारी साबित हैं। ऐसी स्थिति में वादीगण का दावा बाबत् घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा डिकी योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा डिकी किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 7167 रकबा 0.23 है0 में से रकबा 0.14 है0 उत्तरी पूर्वी तरफ खसरा नम्बर 7156 के सहारे की भूमि कस्बा हिण्डौन का वादी संख्या 01 को हिस्सा 1/24, वादी सं0 2,3,4 को हिस्सा 1/24, वादी सं0 5,6 को हिस्सा 1/24, वादी सं0 7 को हि0 1/24, वादी सं0 8 को हिस्सा 1/6, वादी सं0 9 को हिस्सा 1/6, वादी सं0 11 को हिस्सा 1/4, वादी सं0 12,13,14 को हिस्सा 1/4 भाग के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं तथा तहसीलदार हिण्डौन को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड, राजस्व सीट में तरमीम कर अमल दरामद

करें तथा वादीगण की खातेदारी में दर्ज खसरा नम्बर 7154 में से रकबा 0.08 है0 एवं खसरा नम्बर 7155 में से रकबा 0.06 है0 कस्बा हिण्डौन की भूमि का मुताविक राजस्व सीट खसरा नम्बर 7156 सडके उपयोग में आ रही भूमि पाये जाने से उक्त रकबा 0.14 है0 वादीगण की खातेदारी में से कम कर, पी0डब्लू0 डी0 विभाग की खातेदारी में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तथा खसरा नम्बर 7154 में से रकबा 0.08 है0 एवं खसरा नम्बर 7155 में से रकबा 0.06 है0 कस्बा हिण्डौन की भूमि का मुताविक राजस्व सीट खसरा नम्बर 7156 सडक के उपयोग में आ रही भूमि को खसरा नम्बर 7156 की राजस्व सीट में ही इन नम्बरों का रकबा 0.14 है0 उत्तर पूर्वी तरफ प्रदर्शित करते हुए तरमीम कर अमल दरामद किया जावे तथा शेष इन्द्राजात मुताविक राजस्व रिकार्ड बदस्तूर रहेंगे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 7167 रकबा 0.23 है0 में से रकबा 0.14 है0 उत्तरी पूर्वी तरफ खसरा नम्बर 7156 के सहारे की भूमि कस्बा हिण्डौन में वादीगण के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत प्रतिवादीगण ना तो स्वंय करें ना ही किसी अन्य से करावें। प्रतिवादीगण ऐसा कोई कार्य नहीं करें कि जिससे वादीगण के हक, हकूकों पर कोई विपरीत प्रभाव पडे। तहसीलदार हिण्डौन को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व सीट में अमल दरामद करें। निर्णय व डिकी की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को पालनार्थ भेजी जावे। उपरोक्तानुसार पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ....२२-९-२२.... को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनूपसिंह)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली